तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.55/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
20.01.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी तुलसीदास पुत्र गेहीमल किमतानी, जाति– सिंधी, निवासी– रघुनाथ मन्दिर, नक्की झील के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म तुलसी सोफटी, नक्की झील के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी तुलसीदास को इस न्यायालय द्वारा नोटिस की व्यक्तिशः तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी तुलसीदास प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 19.01.2022 को उपस्थित नही हुआ एवं न ही प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी इस न्यायालय में नियत तिथि 19.1.2022 को उपस्थित नही हुए। प्रकरण में प्रतिवादी तुलसीदास कीमतानी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी नियत तिथि 19.1.2022 को उपस्थित नही होने एवं प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही होने के कारण प्रकरण में प्रतिवादी तुलसीदास कीमतानी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। पत्रावली के अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.6.2021 को समय 11.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म तुलसी सोफटी, नक्की झील के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी तुलसीदास पुत्र गेहीमल किमतानी, जाति– सिंधी, निवासी– रघुनाथ मन्दिर, नक्की झील के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ आईसक्रीम सोफटी बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ आईसक्रीम सोफटी के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता तुलसीदास को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आईसक्रीम सोफटी मशीन में बिक्री हेतु मौजूद आईसक्रीम सोफटी लगभग 4 किलोग्राम को अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप की गई आईसक्रीम सोफटी में से 1200 ग्राम आ[illegible] सूखे, खाली भिगोने में खरीदी व आईसक्रीम [illegible] कीमत राशि रुपये 400/— (रुप[illegible] नकद ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.55/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1440, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ आईसक्रीम सोफटी आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आईसक्रीम सोफटी को चारों अलग अलग शीशीयों में बराबर बराबर भरा। तत्पश्चात् चारों नमूना शीशीयों में 24–24 बूंदे फॉर्मेलीन की डाली एवं चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। तत्पश्चात् चारों नमूना पाउचेज पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों खरीदशुदा आईसक्रीम सोफटी को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1440 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 30.6.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 28.6.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह [illegible] अधिकारी द्वारा फर्म तुलसी सॉफ्टी, नक्की [illegible] माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में [illegible] ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.55/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम सोफटी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम सोफटी के नमूना संख्या S-1440 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./401/Act/2021/498 दिनांक 13.7.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ आईसक्रीम सोफटी का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तुलसीदास को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 13.7.2021 की प्रति प्रेषित कर जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच हेतु अपील आवेदन फार्म 8 में 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन प्रतिवादी तुलसीदास ने पुनः जांच हेतु आवेदन नही किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी तुलसीदास पुत्र गेहीमल किमतानी, जाति– सिंधी, निवासी– रघुनाथ मन्दिर, नक्की झील के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म तुलसी सोफटी, नक्की झील के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ आइसक्रीम सोफटी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत के तहत प्रतिवादी तुलसीदास पुत्र गेहीमल किमतानी, जाति–सिंधी, निवासी– रघुनाथ मन्दिर नक्की झील के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म तुलसी सोफटी, नक्की झील के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी तुलसीदास पुत्र गेहीमल किमतानी, जाति–सिंधी, निवासी– रघुनाथ मन्दिर नक्की झील [illegible] माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फ[illegible] तुलसी सोफटी, नक्की झील के पास, माउन्ट [illegible] सिरोही [illegible] किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि [illegible] राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज०)
प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.55/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.2.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड़) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested